उत्तर प्रदेश शासन
व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-3393/सोलह-1-2009-5(डब्लू-48)/2008
लखनऊः दिनांकः 14 अक्टूबर, 2009

FNO 01/2011
NS

कार्यालय-आदेश

विषयः- प्रदेश में विभिन्न विभागों के अधीन स्थापित/संचालित निजी क्षेत्र की व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश और फीस नियमन हेतु उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा-4 के अंतर्गत गठित समिति के किसी आदेश के विरुद्ध अपील के निस्तारण हेतु अधिनियम की धारा-11 (1) के अंतर्गत अपील प्राधिकरण की नियुक्ति।

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा-4 के अंतर्गत निजी क्षेत्र की गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश और फीस नियमन के लिए समिति गठन का प्राविधान है तथा धारा-11(1) में यह प्राविधानित है कि राज्य सरकार एक अपील प्राधिकरण नियुक्त करेगी जिसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो जिसके समक्ष समिति के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति या कोई व्यावसायिक संस्था ऐसे किसी आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर अपील दाखिल कर सकती है।

2- उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत प्रवेश और फीस नियमन समिति के गठन हेतु अधिसूचना संख्या-1561/सोलह-1-2008-5(डब्ल्यू-48)/ 2003, दिनांक 1 मई, 2008 द्वारा उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 का प्रख्यापन किया गया जिसके भाग-4 में भी अधिनियम की धारा-11 के अधीन अपील दाखिल करने की व्यवस्था की गयी है।

3- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 की धारा-3(1) के अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5 (डब्ल्यू-48)/2003, दिनांक 27.6.08 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियंत्रण/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, निजी क्षेत्र की बी0एड0 पाठ्यक्रम तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल पाठ्यक्रमों में प्रवेश और फीस नियमन के लिए समितियां गठित कर दी गयी हैं।

4- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 11(1) के अंतर्गत तथा उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 के भाग-4 में उल्लिखित अपील प्राधिकरण का निम्नवत गठन किये जाने का श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)	मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश	अध्यक्ष
(2)	सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य

5- उक्त अपील प्राधिकरण आवश्यकतानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट का सहयोग प्राप्त कर सकता है।

6- अपील प्राधिकरण पर आने वाला समस्त व्ययभार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा और उक्त प्राधिकरण तत्काल प्रभाव से अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 2559/दस-2008, दिनांक 24.12.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

वृन्दा सरूप
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कुलपति, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा/उच्च शिक्षा/न्याय/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
4. कुलसचिव, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस अभ्युक्ति से प्रेषित कि वे उक्त आदेश की प्रतियाँ प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अभियन्त्रण/व्यायसायिक संस्थाओं को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें ।
5. निदेशक, प्राधिधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर को इस अभ्युक्ति से प्रेषित कि वे निजी क्षेत्र की बहुधंधी संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
8. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति, बांसमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ ।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
10. व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2, 3 एवं 4
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

17/12

(अनिल कुमार बाजपेई)
अनुसचिव